



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 25.08.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना आटा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त किशन पुत्र अतर सिंह निवासी मोहल्ला तुलसीनगर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध थाना आटा पर मु०अ०सं० 120/23 धारा 307 भादवि, 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना आटा पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय (एडीजे-प्रथम कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त किशन उपरोक्त को दोषी पाते हुए **03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।



श्री हृदेश पाण्डेय
ADGC



प्र०नि० मॉनीटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० महेन्द्र प्रताप सिंह
कोर्ट मुहरीर



का० अखिलेश
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

